

**बिहार सरकार**  
**वाणिज्य-कर विभाग**  
**-:अधिसूचना:-**

संचिका संख्या :-6/अ0-03-07/2021

पटना, दिनांक-

श्री जय कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), सासाराम अंचल, सासाराम को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-16.04.2025 से 30.04.2025 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री कुमार के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (159-15=144) (एक सौ चौवालीस) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

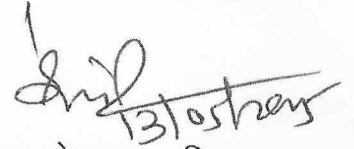
(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,  
वाणिज्य-कर विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-07/2021 2036

पटना, दिनांक-14/05/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सासाराम/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), सासाराम अंचल, सासाराम/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना, आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री जय कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), सासाराम अंचल, सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,  
वाणिज्य-कर विभाग,  
बिहार, पटना।